

2026 में सुरक्षित रूप से मतदान करें

जानें कि अगर आईसीई या संघीय एजेंट चुनाव में आते हैं तो क्या करें

जुलाई 2026

ट्रम्प प्रशासन ने इस गिरावट में मतदान स्थलों पर संघीय एजेंटों को भेजने की संभावना को नकारने से बार-बार इनकार किया है। मतदाता इस गैरकानूनी खतरे को लेकर चिंतित हो सकते हैं। डर समझ में आता है। धमकी का उद्देश्य पात्र अमेरिकियों को वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने से हतोत्साहित करना है। यह प्रशासन जानता है कि मतदाताओं के पास अपने अधिकारों का प्रयोग करने की शक्ति और इच्छाशक्ति है। मतदाताओं को पता होना चाहिए कि कानून उनके पक्ष में है।

संघीय कानून संघीय अधिकारियों को चुनावों में हस्तक्षेप करने से रोकता है। कहीं भी चुनाव आयोजित होने पर सैनिकों या सशस्त्र संघीय एजेंटों को तैनात करना संघीय कानून के तहत अवैध है। और संघीय और राज्य कानून संघीय एजेंटों सहित सभी को मतदाताओं को डराने से रोकते हैं।

यदि ट्रम्प प्रशासन इस गैरकानूनी खतरे को अंजाम देता है, हालांकि, मतदाता, सामुदायिक संगठन और चुनाव अधिकारी मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत जा सकते हैं। अदालतों के पास मतदाताओं को डराने-धमकाने सहित चुनाव में होने वाले व्यवधानों को रोकने के लिए जल्दी से प्रतिक्रिया देने की प्रक्रियाएं हैं।

इसके अतिरिक्त, मतदाता अपने अधिकारों को जानकर और मतदान करने की योजना बनाकर तैयारी कर सकते हैं। यहां बताया गया है कि अगर संघीय एजेंट आपके मतदान स्थल पर दिखाई देते हैं, तो आप अपने वोट और अपने समुदाय की आवाज की रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं।

मतदान से पहले

अपने अधिकारों को जानें।

सरकार के लिए चुनाव के दौरान सशस्त्र संघीय एजेंटों को भेजना अवैध है। मतदाताओं को भय और डराने-धमकाने से मुक्त होकर मतदान करने का अधिकार है। राज्य और संघीय कानून चुनाव में आईसीई या अन्य सशस्त्र संघीय एजेंटों को भेजने पर रोक लगाते हैं। मतदाताओं को डराना-धमकाना - संघीय, राज्य और स्थानीय अधिकारियों सहित - संघीय कानूनों के तहत अवैध है, जैसे:

- **18 यूएससी § 592**, संघीय अधिकारियों को "किसी भी स्थान पर सशस्त्र पुरुषों को तैनात करने से रोकता है जहां कोई सामान्य या विशेष चुनाव आयोजित किया जाता है";
- **18 यूएससी § 593**, सशस्त्र बलों को किसी को मतदान करने से रोकने के लिए "बल, धमकी, डराना-धमकाना, सलाह, या अन्यथा" का उपयोग करने से रोकता है, और "चुनाव अधिकारी के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी तरह से हस्तक्षेप करने" से रोकता है;
- **18 यूएससी § 594**, किसी भी व्यक्ति को धमकाने, धमकियों, या जबरदस्ती पर रोक लगाता है "अधिकार के साथ हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से।। वोट देने के लिए"; तथा
- **18 यूएससी § 595**, सरकारी कर्मचारियों को संघीय चुनाव में हस्तक्षेप करने के लिए संघीय रूप से वित्तपोषित गतिविधि के संबंध में आधिकारिक अधिकार का उपयोग करने से रोकता है।

आपको वोट देने के लिए अंग्रेजी बोलने, पढ़ने या लिखने का तरीका जानने की आवश्यकता नहीं है। मतदान अधिकार अधिनियम आपको मतदान करते समय अपनी पसंद के सहायक या अनुवादक को लाने के अधिकार की गारंटी देता है, जब तक कि वे आपके नियुक्ता या श्रमिक संघ के प्रतिनिधि नहीं हैं। कुछ स्थानों को कुछ भाषा-अल्पसंख्यक समूहों के लिए भाषा सहायता भी प्रदान करनी चाहिए। कुछ स्थान संघीय रूप से आवश्यक से अधिक अतिरिक्त भाषा सहायता प्रदान करते हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने स्थानीय चुनाव कार्यालय से संपर्क करें।

आप जहां रहते हैं उस पर निर्भर करते हुए, आपको वोट देने के लिए पहचान प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है।

मतदान करने की योजना बनाएं।

अभी अपने मतदाता पंजीकरण की स्थिति की जाँच करें। नीचे दिए गए चुनाव सुरक्षा हॉटलाइन पर कॉल करें या मदद के लिए vote.org पर जाएं।

समय से पहले मतदान करने की योजना बनाएं। मतदाता मतदान करने के वैकल्पिक तरीकों का लाभ उठा सकते हैं:

- **जल्दी मतदान।** 47 राज्य किसी भी मतदाता को चुनाव के दिन से पहले व्यक्तिगत रूप से मतदान करने की अनुमति देते हैं। प्रारंभिक मतदान अवधि की शुरुआत में मतदान में कम गतिविधि हो सकती है।
- **डाक मतपत्र द्वारा मतदान।** 36 राज्य किसी भी मतदाता को डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की अनुमति देते हैं, और शेष राज्य कुछ मतदाताओं को ऐसा करने की अनुमति देते हैं, जैसे कि वे जो विकलांग हैं या चुनाव के दिन काउंटी के बाहर होंगे। डाक मतपत्रों को सुरक्षित मतपत्र ड्रॉप बॉक्स में, यदि आपके क्षेत्र में उपलब्ध हो, चुनाव अधिकारी के कार्यालय में या डाक द्वारा वापस किया जा सकता है। डाक मतपत्र का अनुरोध करने में सहायता के लिए अपने स्थानीय चुनाव कार्यालय से संपर्क करें या चुनाव सुरक्षा हॉटलाइन पर कॉल करें।

दूसरों के साथ मतदान करें। किसी विश्वसनीय व्यक्ति या प्रियजनों या पड़ोसियों के समूह के साथ मतदान में जाने पर विचार करें। एक व्यक्ति को मतदाताओं के साथ जाने के लिए पंजीकृत मतदाता या अमेरिकी नागरिक होने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि गैर-नागरिक यात्रा न करने का विकल्प चुन सकते हैं। चुनाव के लिए परिवहन, मतदान स्थलों पर फोटोग्राफी और वीडियो तथा मतदान के लिए मुआवजे, जैसे भोजन या पुरस्कार, पर राज्य के कानूनों की सीमाओं की जांच करना याद रखें।

मतदान के दौरान

यदि आप अपने मतदान स्थल पर संघीय एजेंटों को देखते हैं।

इसकी रिपोर्ट करें। किसी भी प्रकार के मतदाता को डराने-धमकाने की रिपोर्ट करने के लिए चुनाव सुरक्षा हॉटलाइन पर कॉल करें।

अतिरिक्त कदमों पर विचार करें। मतदाता चुनाव कर्मियों को संघीय एजेंटों की उपस्थिति के बारे में सचेत कर सकते हैं या अपने स्थानीय चुनाव अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क जानकारी usvote.foundation.org पर प्राप्त करें।

मतदाता चुनावों में संघीय एजेंट की गतिविधि का दस्तावेजीकरण करना चाह सकते हैं। कुछ राज्य मतदान स्थलों पर या उसके आस-पास फिल्मांकन की अनुमति नहीं देते हैं। मतदाताओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कानून प्रवर्तन को फिल्माने से स्थिति बड़ सकती है, और उन्हें फोटो या वीडियो लेते समय दूरी बनाए रखने पर विचार करना चाहिए। यदि किसी बातचीत को फिल्माने की वैधता या सुरक्षा के बारे में संदेह है, तो मतदाता केवल ऑडियो रिकॉर्ड करने, लिखित नोट्स लेने या अपनी टिप्पणियों के साथ वॉयस मेमो रिकॉर्ड करने पर विचार कर सकते हैं। निम्नलिखित जानकारी चुनाव सुरक्षा हॉटलाइन और चुनाव कार्यकर्ताओं के लिए उपयोगी है:

- ▲ **आकार:** कितने एजेंट/अधिकारी उपस्थित थे?
- ▲ **गतिविधि:** एजेंट क्या कर रहे थे? क्या वहां मतदाता मौजूद थे?
- ▲ **स्थान:** मतदान स्थल में या उसके आसपास एजेंट कहाँ थे?
- ▲ **वर्दी:** एजेंटों के कपड़ों पर कौन से अक्षर, विवरण या पैच दिखाई दे रहे थे?

- ▲ **समय:** आपने एजेंटों को कब देखा?
- ▲ **उपकरण:** एजेंटों के पास क्या था? क्या वे सशस्त्र थे?

सोशल मीडिया सहित एजेंटों की उपस्थिति के बारे में अधिक व्यापक रूप से जानकारी साझा करने से पहले सावधानी बरतें। आप यह पहचानने में सक्षम नहीं हो सकते हैं कि अधिकारी संघीय एजेंट, आब्रजन एजेंट या स्थानीय कानून प्रवर्तन हैं या नहीं। कुछ न्यायक्षेत्रों में स्थानीय कानून प्रवर्तन को चुनावों में शामिल होना आवश्यक है या चुनाव अधिकारियों द्वारा अनुरोध किए जाने पर या आपात स्थिति के जवाब में उनकी उपस्थिति की अनुमति होती है। मतदान स्थल पर संघीय एजेंटों या आईसीई की झूठी रिपोर्ट अनुचित घबराहट पैदा कर सकती है और लोगों को मतदान करने से हतोत्साहित कर सकती है।

यदि आपको मतदान करते समय संघीय एजेंटों या कानून प्रवर्तन द्वारा रोका या पूछताछ की जाती है।।

पूछें कि क्या आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि एजेंट "हां" कहते हैं, तो मतदाता दूर जा सकते हैं। अधिकारी आम तौर पर मतदाताओं को उचित संदेह के बिना हिरासत में नहीं ले सकते हैं कि वे अपराध कर रहे हैं या संघीय आब्रजन एजेंटों के मामले में, आब्रजन कानून का उल्लंघन किया है। दौड़ने के बजाय शांति से चलने से अधिकारियों को मतदाता को रोकने का कारण देने से बचने में मदद मिल सकती है।

जानिए आपको क्या जानकारी देनी है। मतदाता चुप रहने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं और वकील की मांग कर सकते हैं, भले ही उन्हें हिरासत में लिया गया हो। मतदाता स्पष्ट रूप से कह सकते हैं, "मैं चुप रहना चाहता हूँ" या "मुझे एक वकील चाहिए"। मतदाताओं को कानून प्रवर्तन या संघीय एजेंटों के सवालों का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। यातायात, पैदल यात्री और कुछ अन्य राज्य अपराधों के लिए रोके जाने पर उन्हें केवल अपना नाम बताने और आईडी दिखाने की आवश्यकता हो सकती है।

मतदाताओं को बिना वारंट के कानून प्रवर्तन के लिए अपने सेल फोन को अनलॉक करने की आवश्यकता नहीं है। मतदाताओं को अपने सामान की तलाशी पर आपत्ति करने का अधिकार है, स्पष्ट रूप से कहकर, "मैं तलाशी के लिए सहमत नहीं देता हूँ" जबकि पहुंच में बाधा नहीं डालते। अधिकारियों के पास परवाह किए बिना तलाशी करने का कानूनी अधिकार हो सकता है।

निम्नलिखित फ़ोन नंबरों का उपयोग करके कई भाषाओं में **उपलब्ध चुनाव सुरक्षा हॉटलाइन से संपर्क करें:**

- **अंग्रेज़ी:** 1-866-OUR-VOTE
- **स्पेनिश या अंग्रेज़ी:** 1-888-VE-Y-VOTA
- **एशियाई भाषाएँ या अंग्रेज़ी:** मंदारिन, कैंटोनीज़, कोरियाई, वियतनामी, तागालोग, उर्दू, हिंदी, बंगाली/बांग्ला और पंजाबी सहित **1-888-API-VOTE**
- **अरबी या अंग्रेज़ी:** 1-844-YALLA-US